

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक  
पीठासीन अधिकारी-

मुरारी लाल शर्मा  
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर  
05 / 2013 / प्रा.पत्र / 2013

तारीख दायरा  
22.01.2013

तारीख निर्णय  
26.11.2021

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
टोंक

..... प्रार्थी

बनाम

- 1-श्री चिरंजी लाल जैन पुत्र श्री भूरा लाल जैन निवासी मुख्य बाजार लावा तहसील मालपुरा  
जिला टोंक प्रोपराईटर मैसर्स चिरंजी लाल पदम चन्द बस स्टैण्ड लावा तहसील मालपुरा
- 2- मैसर्स चिरंजी लाल पदम चन्द बस स्टैण्ड लावा तहसील मालपुरा

..... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा  
26 की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 52

उपस्थित-


- 1-प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
- 2-अप्रार्थीगण उपस्थित

:-निर्णय:-

दिनांक 26.11.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 24.07.2012 को समय 1.00 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स चिरंजी लाल पदम चन्द बस स्टैण्ड लावा तहसील मालपुरा पर पहुंचा। प्रोपरायटर की हैसियत से चिरंजी लाल जैन पुत्र श्री भूरा लाल जैन निवासी मुख्य बाजार लावा तहसील मालपुरा जिला टोंक प्रोपराईटर मैसर्स चिरंजी लाल पदम चन्द बस स्टैण्ड लावा तहसील मालपुरा खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में नमकीन (अंशुल ब्राण्ड) रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर विक्रेता श्री चिरंजी लाल जैन को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु



1492

अतिरिक्त मजिस्ट्रेट  
टोंक



नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता चिरंजीलाल जैन एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान में 40 पैकेट 500 ग्राम के पौली पैक नमकीन (अंशुल ब्राण्ड) रखे हुये में से चार पैकेट मूल अवस्था में वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रेता श्री चिरंजी लाल जैन को रू0 140/- अक्षरे एक सौ चासील रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा नमकीन (अंशुल ब्राण्ड) चार पैकेट को अलग-अलग नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर एवं चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I-345 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग-अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I-345 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता चिरंजी लाल जैन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2012/3437 दिनांक 10.10.2012 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/610/एक्ट/2012/615 दिनांक 07.08.2012 अनुसार चिरंजीलाल जैन से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया नमकीन (अंशुल ब्राण्ड) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का नमकीन (अंशुल ब्राण्ड) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।



अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थी अनुपस्थित। अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस नमकीन (अंशुल ब्राण्ड) का विक्रय कर रहा था वह जांच में मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया नमकीन (अंशुल ब्राण्ड) का नमूना जांच में मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री चिरंजी लाल जैन पुत्र श्री भूरा लाल जैन निवासी मुख्य बाजार लावा तहसील मालपुरा जिला टोंक प्रोपराईटर मैसर्स चिरंजी लाल पदम चन्द बस स्टैण्ड लावा तहसील मालपुरा पर शास्ति 10,000 (अक्षरे दस हजार रू०) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 26.11.2021 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



26-11-2021  
(मुरारी लाल शर्मा)  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक-राज०